



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 14.10.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 नफर अभियुक्त 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 नफर अभियुक्त मौ0 नईमुद्दीन पुत्र याकुब नि0 गली न0 05 एफ ब्लॉक बुध्दनगर ईदगाह रोड रोड लोनी गा0बाद को क्रमशः 120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज के साथ राशिद अली गेट के पास चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से दिनांक 13.10.2021 समय करीब 23.00 बजे बजे गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -

मौ0 नईमुद्दीन पुत्र याकुब नि0 गली न0 05 एफ ब्लॉक बुध्दनगर ईदगाह रोड रोड लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 1450/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी:-

120 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी लोनी तिराहा थाना लोनी गा0बाद
2. उ0नि0 श्री इजहार अली
3. का0 1287 राजू सिंह
4. का0 815 आशीष कुमार

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैर जमानती वारण्ट के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा गैर जमानती वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 गैर जमानती वारण्टी अभियुक्त गण 1. सकीलुरहमान पुत्र मौ0 हबीब आजाद इन्कलेव पूजा कालोनी थाना लोनी गा0बाद सम्ब0 परिवाद न0 7756/10 धारा 406/504/506 भादवि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट -1 गा0बाद 2. साबिर पुत्र मौ0 हबीब नि0 आजाद एंकलेव पूजा कालोनी थाना लोनी गा0बाद सम्ब0 परिवाद न0 7756/10 धारा 406/504/506 भादवि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट -1 को दिनांक 13/14.10.2021 को रात्रि में उनके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण -

1. सकीलुरहमान पुत्र मौ0 हबीब आजाद इन्कलेव पूजा कालोनी थाना लोनी गा0बाद
2. साबिर पुत्र मौ0 हबीब नि0 आजाद एंकलेव पूजा कालोनी थाना लोनी गा0बाद
3. गिरफ्तार करने वाली टीम:-
 1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
 2. उ0 नि0 श्री बटूकेश्वर सिंह
 3. है0का0 632 सुभय सिंह
 4. है0का0 1674 अजय कुमार

चैकिंग अभियान के दौरान 01 नफर अभि0 को 109 गत्ते डिब्बे कार्टून पटाखे सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री पवन कुमार आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्री अवनीश कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री देवपाल सिंह पुण्डरी के कुशल नेतृत्व थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा बीती रात समय करीब 23.15 बजे मुखबिर की सूचना पर पुराना बस अड्डा बसन्त चौक के पास कुरेशी मार्किट वाले गोदाम से 01 अभि0 को 109 गत्ते डिब्बे कार्टून जो पटाखो से भरे है (कीमत करीब 10 लाख रुपये) सहित गिरफ्तार किया गया है। मौके से गोदाम मालिक अभि0 मनोज जैन पुत्र कृष्ण अवतार निवासी 106 कुरेशी मार्किट लक्ष्मी नगर का पिछला गेट गाजियाबाद भागने में सफल रहा।

अपराध का तरीका:-

अभि0गण द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से पटाखो का स्टॉक करके चोरी छिपे बेचा जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

राहुल पुत्र ज्ञान प्रकाश उर्म 30 वर्ष निवासी नवीन चक्की के पास अजय का किराये का मकान मालीवाडा थाना सिहानी गेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम गंगोरोली थाना उगेती बिन्च जिला बदायू

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 1198/21 धारा 9B(1) b विस्फोटक अधि0 1884 बनाम राहुल व मनोज जैन(फरार) थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्रीमान उमा कान्त तिवारी अपर नगर मजिस्ट्रेट
2. उ0नि0 पम्मी चौधरी थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
3. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
4. हे0का0 1174 धीरज थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
5. है0का0 705 राजेन्द्र सिंह थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
6. का0 276 विनित थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

बरामदगी

109 गत्ते डिब्बे कार्टून जो पटाखो (बम बुलेट, राकेट, चकरी, फुलझडी) आदि से भरे है (कीमत करीब 10 लाख रुपये)



2 नफर अभि0गण से कुल 22.077 कि0ग्रा0 अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.10.2021 समय 18.35 बजे घटनास्थल नहर पटरी एनएच 24 अन्डर पास चौकी क्षेत्र लौधी चौक से कुल 22.077 कि0ग्राम अवैध गाँजा मय एक वेट मशीन, एक ग्लू गन, 100 खाली पाउच, एक स्विफ्ट डिजायर कार नं0 DL3CBL0732 सहित गिरफ्तार किया गया।

गिर0 अभियुक्तगण का नाम पता

1. आनंद शर्मा पुत्र स्व० योगेंद्र शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी दीपक विहार साहिल पब्लिक स्कूल अटल चौक नेहरू गार्डन खोड़ा कॉलोनी खोड़ा थाना खोड़ा
2. प्रहलाद शाह उर्फ साडू पुत्र रूडो शाह उम्र 33 वर्ष मूल पता ग्राम धुआबो थाना सनोरवर जिला भागलपुर बिहार हाल पता मकान नंबर 15 ब्लॉक ए मोहल्ला दीपक विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जिला गाजियाबाद

बरामदगी – अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 22.077 किलोग्राम नाजायज गांजा ,एक वेट मशीन ,एक ग्लू गन ,100 खाली पाउच ,एक स्विफ्ट डिजायर कार नं० DL3CBL0732 बरामद होना ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आनंद शर्मा पुत्र स्व० योगेंद्र शर्मा का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	729/2021	8/20 एनडीपीएस एक्ट	खोड़ा	गाजियाबाद
2	343/2021	8/20 एनडीपीएस एक्ट	खोड़ा	गाजियाबाद
3.	0127/2016	60/72 आबकारी अधि०	खोड़ा	गाजियाबाद

अभि० प्रहलाद शाह उर्फ साडू पुत्र रूडो शाह का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	729/2021	8/20 एनडीपीएस एक्ट	खोड़ा	गाजियाबाद

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार कुशवाहा

उ०नि० सुरेशचन्द्र शर्मा

हे०का० 1287 रजनीश

का० 992 नितिन सिराना

का०1119 अविनाश कुमार

का०3755 अनुराग रावत



थाना टीलामोड़ की पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर लूटेरे को छीना गया मोबाईल फोन व एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर लूटेरे को छीना गया मोबाईल फोन व एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 13.10.2021 को प्रातः 10.00 बजे बेटी बचाओ बेटी पढाओ चौराह सिकन्दरपुर के सामने से दो अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा श्री अरशद पुत्र इदरीश नि0 राजीव कालोनी भोपुरा थाना टीला मोड़ गा0बाद का मोबाईल फोन छीन लिया था जिसके सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पर मु0अ0सं0 435/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था । थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए मोबाईल फोन लूट की घटना का सफल अनावरण कर मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14.10.2021 को 00.30 बजे चौकी सिकन्दरपुर के सामने एक अभियुक्त सूरज चौधरी पुत्र राकेश चौधरी नि0 सफेद गेट निकट शक्ति जिम भोपुरा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से छीना गया मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का तथा एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुए । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 536/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सूरज उपरोक्त पर पंजीकृत किया गया । अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा अपने साथी जीतू के साथ मिलकर दिनांक 15/09/2021 को एबीएन स्कूल के पास तुलसीनिकेतन से श्रीमती बीना पत्नी नरेन्द्र नि0 गली नं0 06 करावलनगर दिल्ली से सोने की चैन छीनकर दिल्ली में बेच देने का इकबाल किया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सूरज चौधरी पुत्र राकेश चौधरी नि0 सफेद गेट निकट शक्ति जिम भोपुरा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. एक छीना गया मोबाईल फोन रियलमी कम्पनी का सिम नं0 862080049609612 व 862040049609504 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 535/21 धारा 392 भादवि)
2. एक अदद चाकू नाजायज

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

- 1- मु0अ0सं0 498/21 धारा 392 भादवि थाना टीला मोड़
 - 2- मु0अ0सं0 535/21 धारा 392,411 भादवि थाना टीला मोड़
 - 3- मु0अ0सं0 536/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना टीला मोड़
 - 4- मु0अ0सं0 944/17 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना लोनी बार्डर
 - 5- मु0अ0सं0 945/17 धारा 411 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली
 - 6- मु0अ0सं0 418/20 धारा 457/380/511/188/34 भादवि
- अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार सुमन थाना टीला मोड़ गा0बाद
2. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार मलिक थाना टीला मोड़ गा0बाद

3. उ०नि० नीरज कुमार थाना टीला मोड़ गा०बाद
4. हैड कां० 1669 दिनेश कुमार थाना टीला मोड़ गा०बाद
5. हैड का० 1676 राजीव कुमार थाना टीला मोड़ गा०बाद
6. का० 1733 नितिश कुमार थाना टीला मोड़ गा०बाद



थाना कविनगर पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 लूट का मोबाइल व अवैध असलाह बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा लूट/चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकुश पुत्र प्रदीप निवासी बागवाली कालोनी थाना कविनगर गाजियाबाद को आज दिनांक 14.10.21 को डायन्ड फ्लाई ओवर रेलवे पटरी के पास थाना क्षेत्र कविनगर से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक लूट मोबाइल IMEI NO. 354874671571347/78 व एक तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामद तमंचा व लूट के मोबाइल के सम्बन्ध में थाना कविनगर मु०अ०सं० 1684/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 1685/21 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने साथी आदेश उर्फ छोटू के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद व आस पास के क्षेत्र में मौका पाकर छीनैती जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। अभियुक्त अंकुश उपरोक्त के साथी आदेश उर्फ छोटू को थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 13.10.21 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) अंकुश पुत्र प्रदीप निवासी बागवाली कालोनी थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
- (2) आदेश उर्फ छोटू पुत्र शशिकान्त निवासी बागवाली कालोनी शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुश -

- 1-मु०अ०सं० 1684/21 धारा 411/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
 - 2-मु०अ०सं० 1685/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आदेश उर्फ छोटू उपरोक्त-

- 1- मु०अ०सं० 1681/21 धारा 307 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु०अ०सं० 1682/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3- मु०अ०सं० 1677/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 4- मु०अ०सं० 1680/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 5- मु०अ०सं० 1685/21 धारा 414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 6- मु०अ०सं० 59/21 धारा 380/427 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 7- मु०अ०सं० 83/21 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 8- मु०अ०सं० 188/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।

9- मु0अ0सं0 933/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद ।

10- मु0अ0सं0 934/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।

11- मु0अ0सं0 116/20 धारा 379/411 भादवि थाना दौराला मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

(1) एक लूट मोबाइल IMEI NO. 354874671571347/78 व

(2) एक तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।

2. का0 भूपेन्द्र सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर मय 01 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर पुलिस द्वारा पार्टी दिनांक 14.10.2021 को चेकिंग के दौरान एक शातिर गांजा तस्कर अभि0 मोहसीन पुत्र सलीम नि0 मिर्जापुर बंजारा चौक थाना विजयनगर गाजियाबाद को संतोष मेडिकल सर्विस रोड के नाले की पुलिया के पास थाना विजयनगर क्षेत्र से मय 01 किलो 100 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1- मोहसीन पुत्र सलीम नि0 मिर्जापुर बंजारा चौक थाना विजयनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

1. 01 किली 100 ग्राम नाजायज गांजा ।

गिरफ्तार अभि0 का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 1395/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद ।

गिरफ्तार/सहयोग करने वाली पुलिस टीम

1-प्र0नि0 श्री योगेन्द्र मलिक

2-उ0नि0 श्री अंगद सिंह

3-का0 1202 इमरान

4-का0 2057 गौरव कुमार



थाना कविनगर पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 लूट का मोबाइल व अवैध

असलाह बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा लूट/चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकुश पुत्र प्रदीप निवासी बागवाली कालोनी थाना कविनगर गाजियाबाद को आज दिनांक 14.10.21 को डायन्ड फलाई ओवर रेलवे पटरी के पास थाना क्षेत्र कविनगर से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक लूट मोबाइल IMEI NO. 354874671571347/78 व एक तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामद तमंचा व लूट के मोबाइल के सम्बन्ध में थाना कविनगर मु0अ0सं0 1684/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 1685/21 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने साथी आदेश उर्फ छोटू के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद व आस पास के क्षेत्र में मौका पाकर छीनैती जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। अभियुक्त अंकुश उपरोक्त के साथी आदेश उर्फ छोटू को थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 13.10.21 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) अंकुश पुत्र प्रदीप निवासी बागवाली कालोनी थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
- (2) आदेश उर्फ छोटू पुत्र शशिकान्त निवासी बागवाली कालोनी शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकुश -

- 1-मु0अ0सं0 1684/21 धारा 411/414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
 - 2-मु0अ0सं0 1685/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आदेश उर्फ छोटू उपरोक्त-

- 12- मु0अ0सं0 1681/21 धारा 307 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 13- मु0अ0सं0 1682/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 14- मु0अ0सं0 1677/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 15- मु0अ0सं0 1680/21 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 16- मु0अ0सं0 1685/21 धारा 414 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 17- मु0अ0सं0 59/21 धारा 380/427 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 18- मु0अ0सं0 83/21 धारा 380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 19- मु0अ0सं0 188/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 20- मु0अ0सं0 933/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 21- मु0अ0सं0 934/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 22- मु0अ0सं0 116/20 धारा 379/411 भादवि थाना दौराला मेरठ।

बरामदगी का विवरण:-

- (3) एक लूट मोबाइल IMEI NO. 354874671571347/78 व
- (4) एक तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

3. उ0नि0 जयवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. का0 भूपेन्द्र सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।